न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 135/2022(GCMS : 2022/198)

MUTHOOT HOMEFIN(INDIA) LTD. OFFICE No.1, 2ND FLOOR, PRESTIGE TOWER, VAISHALI NAGAR, AMRAPALI CICLLE, JAIPUR-302021

बनाम

1. **DARSHAN SINGH** S/O RESHAM SINHG **ADD. 1**:- HOUSE NO. 34, 12 H, MOHHALAN W.NO. 01, KESRISINGHPUR, GANGANAGAR, RAJASTHAN -335027 **ADD. 2**- PROVISION STORE, 12H MOHALLA, SRIGANGANAGAR RAJASTHAN -335027, **ADD. 3**- BOOK NO. 255, PATTA NO. 71, GRAMA PANCHAYAT 12, MOHALLAN, PANCHAYAT SAMITI SRI KARANPUR, GANGANAGAR, RAJASTHAN-335027
2. **AJEET SINGH** S/O DARSHAN SINHG **ADD. 1**:- HOUSE NO. 34, 12 H, MOHALLAN, W.NO. 01, KESRISINGHPUR, GANGANAGAR, RAJASTHAN -335027, **ADD. 2**- BOOK NO. 255, PATTA NO. 71, GRAMA PANCHAYAT 12, MOHALLAN, PANCHAYAT SAMITI SRI KARANPUR, GANGANAGAR, RAJASTHAN-335027
3. **CHARANJEET KAUR** W/O DARSHAN SINHG **ADD. 1**:- HOUSE NO. 34, 12 H, MOHALLAN, W.NO. 01, KESRISINGHPUR, GANGANAGAR, RAJASTHAN -335027, **ADD. 2**- BOOK NO. 255, PATTA NO. 71, GRAMA PANCHAYAT 12, MOHALLAN, PANCHAYAT SAMITI SRI KARANPUR, GANGANAGAR, RAJASTHAN-335027

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.09.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री प्रदीप धरेड़ ने वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 05.08.2022 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण दर्शन सिंह, अजीत सिंह एवं चरणजीत कौर को ऋण सुविधा के रूप में राशि 6,62,076/- रूपये (अखरे रूपये छः लाख बासठ हजार छियत्तर मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृत दिनांक 21.11.2019 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी दर्शन सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति बुक नं. 255 पट्टा नं. 71, ग्राम पंचायत 12 एच मोहल्लां, पंचायत समिति श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर जो कि दिनांक 23.12.2019 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 70 में पृष्ठ संख्या 155 क्रम संख्या 201903409101603 पर पंजीबद्ध किय गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द [illegible] 3 के पृष्ठ संख्या 9 से 13 पर चस्पा किया गया,** का भौतिक [illegible] पुलिस की स[illegible] से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.18 15:30:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण दर्शन सिंह, अजीत सिंह एवं चरणजीत कौर को 6,62,076/— रूपये (अखरे रूपये छः लाख बासठ हजार छियत्तर मात्र)** के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 21.11.2019 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी दर्शन सिंह **ने अपनी अचल सम्पत्ति बुक नं. 255 पट्टा नं. 71, ग्राम पंचायत 12 एच मोहल्लां, पंचायत समिति श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर जो कि दिनांक 23.12.2019 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 70 में पृष्ठ संख्या 155 क्रम संख्या 201903409101603 पर पंजीबद्ध किय गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 283 के पृष्ठ संख्या 9 से 13 पर चस्पा किया गया,** प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक/कम्पनी के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 19.01.2022 **को अनर्जक परिसम्पत्ति** (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा **13(2) के नोटिस दिनांक 26.03.2022** को जारी कर दिनांक 26.03.2022 को ही रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है तथा **अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।**

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी दर्शन सिंह की **अचल सम्पत्ति बुक नं. 255 पट्टा नं. 71, ग्राम पंचायत 12 एच मोहल्लां, पंचायत समिति श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर जो कि दिनांक 23.12.2019 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 70 में पृष्ठ संख्या 155 क्रम संख्या 201903409101603 पर पंजीबद्ध किय गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 283 के पृष्ठ संख्या 9 से 13 पर चस्पा किया गया,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.18 15:30:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 26.03.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 26.03.2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अ**प्रार्थीगण को दिनांक 26.03.2022 को ही रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण के धारा 13(2) नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है,** जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी दर्शन सिंह के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी मुथुट होमफिन(इंडिया) लि. का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी **दर्शन सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति बुक नं. 255 पट्टा नं. 71, ग्राम पंचायत 12 एच मोहल्लां, पंचायत समिति श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर जो कि दिनांक 23.12.2019 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 70 में पृष्ठ संख्या 155 क्रम संख्या 201903409101603 पर पंजीबद्ध किय गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 283 के पृष्ठ संख्या 9 से 13 पर चस्पा किया गया, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जाए। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.18 15:30:14 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 08.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर